



कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक: 2827/14-1, दिनांक, गाजियाबाद 17 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
हापुड़ वन प्रभाग,
हापुड़

विषय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा कैनल मील 106.775 से 107 तक क्षेत्रफल 0.144 हे० एवं 14 वृक्षों के पातन एवं जनपद हापुड़ के अन्तर्गत अपर गंग कैनल मील 107 से 107.984 तक सालिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु लिंक मार्ग के निर्माण हेतु 000.6716 हे० एवं बाधक 91 वृक्षों के पालन कुल 0.8156 हे० संरक्षित वनभूमि के हस्तान्तरण एवं कुल बाधक 105 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: भारत सरकार की पत्र सं०-8वी/यू०पी०/०६/102/2019/एफ०सी०/2053, दिनांक 01.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में वाछित अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है।

Observe No.	Observation of GOI	Reply
1	विषयांकित प्रकरण में प्रेषित Abstract में दी गयी धनराशि और क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना में दी गयी धनराशि में भिन्नता है। जिसे स्पष्ट करें।	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा रसूलपुर याकूतपुर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि 0.8156 हे० का प्राक्कलन वर्तमान प्रचलित दरों के आधार पर संशोधन कर दिया गया है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के Abstract वृक्षारोपण योजना के अनुरूप सही कर प्रेषित किया जा रहा है। प्राक्कलन की 5 प्रतियां Abstract सहित संलग्न हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में आप नोटल होने के कारण उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु उच्च स्तर को लिखने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक : 2827/141 दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक मेरठ वृत्त मेरठ को सूचनार्थ एवं आकथक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद